रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 133]
No. 133]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 1, 2002/आषाढ़ 10, 1924
NEW DELHI, MONDAY, JULY 1, 2002/ASADHA 10, 1924

IndiaCode

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2002

सं. फा. 5-1/2001-राअशिप (शैक्षणिक).—जबकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) इस सम्बन्ध में सन्तुष्ट है कि अध्यापक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने वाले गैर-सहायताप्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रभार्य शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्कों के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करना जनहित की दृष्टि से आवश्यक है।

अतः राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 (1993 का 73वां) की धारा 32(2) (घ) (V) के साथ पठित धारा 12(ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एतद्द्वारा निम्न विनियम बनाती है, अर्थात

1. संक्षिप्त नाम और प्रवर्तन

(i) ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (गैर-सहायताप्राप्त अध्यापक शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रभार्य शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्कों के विनियमन के लिए मार्गदर्शी सिद्धात) विनियम, 2002 कहलाएंगे ।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू हो जाएंगे ।

2. प्रयोज्यता

फिलहाल, ये विनियम ऐसे संस्थानों के मामले में लागू होंगे जो कि *अध्यापक शिक्षा में राअशिप अधिनियम 1993 की धारा 2(ड.)* में यथापरिभाषित पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं (उन संस्थानों को छोड़कर

जोकि ऐसे अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं जिनके पूरा करने पर विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त होती है) और जो "सहायता अनुदान के बिना" "स्ववित्तपोषण" आधार पर काम कर रहे हैं ।

3. परिभाषाएं

इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "अधिनियम" का आशय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993(1993 का 73वां) से हैं;

(ख) 'परिषद्' का आशय अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से है;

(ग) "समिति" का आशय राज्य स्तरीय समिति से है;

(घ) "सक्षम अधिकारी" का आशय छात्रों द्वारा देय शुल्क अथवा शुल्क की मात्रा निर्धारित करने के लिए तथा विभिन्न अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए छात्रों के आबंटन के निमित्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा परिषद् द्वारा नामित किसी अन्य प्राधिकारी से है;

(ड.) भुगतान वाली सीटों अथवा निःशुल्क सीटो के संबंध में "शुल्क" का आशय शिक्षण शुल्क तथा विकास शुल्क सहित सभी संस्थानगत शुल्कों से है,

(च) "निःशुल्क सीटों" का आशय पाठ्यक्रम की उन सीटों से है जिसमें प्रवेश तथा जारी रखने के इच्छुक छात्र द्वारा देय शुल्क संबंधित राज्य द्वारा इसी प्रकार के पाठ्यक्रमों के संबंध में सरकारी कालेजों और संस्थानों में निर्धारित शुल्क के बराबर है,

(छ) "संस्थान" का आशय अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रमों अथवा प्रशिक्षण का आयोजन करने वाले संस्थान से है;

(ज) "मान्यताप्राप्त संस्थान" का आशय ऐसे संस्थान से है जिसे परिषद् द्वारा अधिनियम की धारा 14 के अधीन मान्यता प्रदान की गई है;

(झ) "अनिवासी भारतीय" (एनआरआई) का आशय अनिवासी भारतीय से है और "अनिवासी" का अर्थ वही है जोकि उसे आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43वां) के अधीन दिया गया है,

(ण) "भुगतान वाली सीटों" का आशय निःशुल्क सीटों से इतर सीटों से है और ये सीटें वे हैं जिनके लिए प्रवेश के इच्छुक और पाठ्यक्रम जारी रखने वाले

छात्र द्वारा देय शुल्क इन विनियमों में निर्धारित सीमाओं से अधिक नहीं होगा;

(ट) "राज्य" में संघ शासित क्षेत्र सम्मिलित हैं;

(ठ) "धारा" का आशय अधिनियम की धारा से है;

(ड) "छात्र" का आशय किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाले व्यक्ति से है ।

4. दाखिला

(1) जो छात्र विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मानदंड और मानक निर्धारित करने वाले राअशिप विनियमों की अपेक्षाओं की पूर्ति करता है, उसे छोड़ कर कोई भी अन्य छात्र अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में दाखिले का पात्र नहीं होगा ।

(2) अभ्यर्थियों की पात्रता और दाखिले की क्रियाविधि, राज्य सरकार की नीति के अनुसार और विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए मानदंड और मानक निर्धारित करने वाले तथा राअशिप के समय-समय पर यथासंशोधित विनियमों के अनुसार विनियमित होंगी ।

(3) (i) प्रत्येक मान्यताप्राप्त संस्थान में कम से कम 50 प्रतिशत सीटें निःशुल्क सीटें होंगी और शेष 50 प्रतिशत भुगतान वाली सीटें होंगी।

(ii) निःशुल्क सीटें और भुगतान वाली सीटें - दोनों के मामले में इस बात को छोड़कर कि भुगतान वाली सीटों के मामले में उच्चतर शुल्क देना होगा, पात्रता के मानदंड और अन्य शर्तें एकसमान होंगी ।

(iii) मान्यताप्राप्त संस्थान के प्रबन्धकवर्ग को निःशुल्क सीटों अथवा भुगतान वाली सीटों के लिए पात्रता के कोई अतिरिक्त मानदंड अथवा शर्तें लागू करने का अधिकार नहीं होगा ।

(4) निजी मान्यताप्राप्त संस्थानों को परिषद् द्वारा प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए दाखिल किए जाने वाले छात्रों की समय-समय पर अनुमोदित कुल संख्या की अधिक से अधिक 5 प्रतिशत सीटों पर एनआरआई/विदेशी छात्रों को दाखिल करने की अनुमति होगी । यह प्रतिशत भुगतान वाली सीटों में से होगी ।

(5) (i) संस्थान की स्थापना करने वाले प्रबन्धकवर्ग अथवा किसी परिवार, जाति अथवा समुदाय के लिए सीटों का कोई कोटा अनुमत्य नहीं होगा ।

(ii) यदि किसी शैक्षणिक वर्ष में एनआरआई का 5 प्रतिशत कोटा बिना भरे रह जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी अपने विवेकानुसार ऐसी कोई भी सीट भर सकता है ।

(iii) उपर्युक्त उपविनियम (ii) के अधीन दाखिल किए गए छात्रों से लिए जाने वाला शुल्क एनआरआई सीटों के लिए लागू शुल्क जैसा नहीं, बल्कि वह होगा जोकि भुगतान वाली सीटों में दाखिल किए गए छात्रों के मामले में लागू होता है ।

5. देय शुल्क के निर्धारण के लिए समितियों का गठन

(i) "सहायता-अनुदान के बिना"/ "स्ववित्तपोषण" आधार पर काम कर रहे मान्यताप्राप्त संस्थानों में (उन संस्थानों को छोड़कर जोकि ऐसे अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिनके बाद विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त होती है) शुल्क का निर्धारण एक राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा;

(ii) संबंधित सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में स्थापित की जाने वाली राज्य स्तरीय समिति का गठन निम्नानुसार होगा :

(क) राज्य सरकार में अध्यापक शिक्षा के प्रभारी सचिव - अध्यक्ष;

(ख) राज्य सरकार के वित्त विभाग के सचिव अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति - सदस्य;

(ग) शारीरिक शिक्षा से सम्बन्धित विभाग, यदि ऐसा कोई विभाग मौजूद हो का प्रतिनिधि जिसे राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा -सदस्य;

(घ) संस्थानगत वित्त, लागत लेखाविधि तथा अर्थशास्त्र - प्रत्येक विषय का एक-एक विशेषज्ञ और इस प्रकार तीन विशेषज्ञ जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा - सदस्य;

(ड.) राज्य सरकार में अध्यापक शिक्षा का प्रभारी निदेशक - सदस्य सचिव ।

संबंधित सरकार, समिति में काम करने के लिए किसी भी अन्य अधिकारी को नामित कर सकती है ।

6. समिति द्वारा अपनाई जाने वाली क्रियाविधि

(1) राज्य स्तरीय समिति को सचिवालयी सहायता राज्य सरकार के उसी निदेशालय द्वारा दी जाएगी, जिसे राज्य सरकार के क्रियाविधि

नियमों के अनुसार सम्बन्धित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का दायित्व सौंपा गया है ।

(2) उपर्युक्त विनियम 5(ii) के अधीन गठित राज्य स्तरीय समिति के पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होगा।

(3) राज्य स्तरीय समिति, तीन शैक्षणिक वर्षों के अन्तराल पर शुल्क संरचना की समीक्षा करेगी ।

(4) (i) इन विनियमों के प्रावधानों के अध्यधीन समिति अपनी स्वयं की क्रियाविधि तैयार करने के लिए स्वतंत्र है । तथापि ऐसी क्रियाविधि में सम्बन्धित संस्थान को ऐसी सामग्री प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना अनिवार्यतः शामिल होगा जोकि संस्थान संगत समझता हो । साथ ही समिति को ऐसी जानकारी और ब्यौरे मंगाने का भी अधिकार होगा जो वह शुल्क निर्धारण के लिए संगत समझती हो । अपने प्रभावी कार्यसंचालन के लिए समिति सम्बन्धित संस्थानों द्वारा अनुपालन तथा अपने कार्य पूरा करने के लिए एक समयबद्ध "कार्रवाई कलैण्डर" तथा "अन्तिम तारीखें" निर्धारित करेगी ।

(5) समिति, संस्थानों की विभिन्न श्रेणियों के लिए, शुल्क की भिन्न दरें अथवा मात्राएं निर्धारित कर सकती हैं बशर्ते कि इस प्रकार का वर्गीकरण बोधगम्य तथा निष्पक्ष मानदंडों के अनुसार न्यायोचित हो। विशेष रूप से समिति को जनजातीय क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में स्थित संस्थानों के लिए शुल्क की अलग-अलग दरें निर्धारित करने की छूट रहेगी ।

(6) प्रभार्य शुल्क का निर्धारण करते समय समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित करे कि शुल्क सम्बन्धित संस्थानों के लिए लाभ अथवा वाणिज्यीकरण का साधन न बन जाए ।

(7) शुल्क निर्धारण के लिए मानदंड और क्रियाविधि

(i) प्रभार्य शुल्क में स्थूलतः दो श्रेणियां होंगी अर्थात शिक्षण शुल्क और विकास शुल्क ।

(ii) निःशुल्क सीटों, भुगतान वाली सीटों तथा एनआरआई विदेशी छात्रों के लिए शुल्क संरचना के बारे में निर्णय लेते समय समिति इन बातों को ध्यान में रखेगी लागत को प्रभावित करने वाले प्राचल, व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाने के लिए संस्थान का कुल खर्च जिसकी गणना पिछले दो वर्षों के लेखापरीक्षित विवरणों के आधार पर की जाएगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए उपयुक्त परिलक्षित अनुमान ।

(iii) शिक्षण शुल्क शिक्षा प्रदान करने के वास्तविक खर्च की पूर्ति के लिए होगा ।

(iv) एक समुचित शुल्क का निर्धारण करते समय, समिति संगत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक निर्धारित करने वाले राअशिप नियमों के अनुसार जो सुविधाएं मुहैया कराई जानी आवश्यक है, उन्हें ध्यान में रखेगी । इसके अलावा, समिति विशेष रूप से निम्न तत्वों को ध्यान में रखेगी :

(क) शिक्षण और शिक्षकेतर कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते और बोनस यदि वह अनुमत्य हो;

(ख) प्रशासनिक सेवाओं संबंधी खर्च;

(ग) उपभोज्य सामग्री सहित प्रयोगशालाओं के रखरखाव संबंधी खर्च;

(घ) लेखापरीक्षा शुल्क तथा इसी प्रकार की अन्य सांविधिक अपेक्षाओं सहित आकस्मिक खर्च;

(ड.) पुस्तकालयों के लिए पुस्तकें और पत्रिकाएं प्राप्त करने का खर्च;

(च) किराये और टेरिफ सहित भवनों तथा अन्य परिसंपत्तियों का रखरखाव; तथा

(छ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित कोई अन्य आवर्ती खर्च ।

(v) समिति, संबंधित व्यावसायिक संस्थानों से कोई अन्य आंकड़े अथवा स्पष्टीकरण मांग सकती है ।

(vi) उपर्युक्त उपविनियम (iv) में निर्दिष्ट प्राचलों का पूरा ध्यान रखते हुए निःशुल्क सीटों, भुगतान वाली सीटों के धारकों तथा एनआरआई विदेशी छात्रों के लिए शुल्क की समुचित दरें तय की जा सकती हैं।

(vii) संस्थान का प्रबन्धकवर्ग छात्रों से खानपान तथा आवास की वास्तविक लागत की वसूली कर सकता है बशर्ते की इस तरह की लागत के औचित्य को लेकर समिति संतुष्ट हो ।

(viii) समिति तीन वर्षों के अन्तराल पर विकास शुल्क निर्धारित कर सकती है और निःशुल्क सीटों, भुगतान वाली सीटों तथा विदेशी एनआरआई विदेशी छात्रों के लिए विकास शुल्क की भिन्न-भिन्न दरें तय की जा सकती हैं ।

(ix) विकास शुल्क की एकसमान दरें होनी चाहिएं ।

(x) विकास शुल्क के विभिन्न स्तर अथवा दरें निर्धारित करने के प्रयोजन से समिति बोधगम्य तथा निष्पक्ष मानदंडों के आधार पर संस्थानों को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकती है ।

(xi) विकास शुल्क की दरें तय करते समय समिति निजी व्यवसायिक संस्थानों और साथ ही आम जनता के रुचि रखने वाले सदस्यों के विचारों और सुझावों को ध्यान में रखेगी ।

(xii) पूंजीगत लागत की वसूली के लिए किसी भी अध्यापक शिक्षा संस्थान का प्रबन्धकवर्ग, संस्थान की स्थापना के पहले 10 वर्षों के भीतर लगाए गए विकास शुल्क से प्राप्त राशि अथवा वास्तविक पूंजीगत लागत इनमें से जो भी कम हो की 50 प्रतिशत से अधिक राशि विनियोजित नहीं करेगा । पहले 10 वर्षों के दौरान शेष राशि का प्रयोग स्तरोन्नयन तथा प्रतिस्थापन प्रयोजनों के लिए किया जाएगा और उसके बाद प्राप्त होने वाली समूची राशि का प्रयोग स्तरोन्नयन तथा प्रतिस्थापन प्रयोजनो के लिए किया जा सकता है ।

क्योंकि उन्नीकृष्णन जे.पी. बनाम आन्ध्र प्रदेश सरकार (ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 2178) के मामले मे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित योजना में शिक्षा के वाणिज्यीकरण और लाभ कमाने पर रोक लगा दी गई है, इसलिए संबंधित संस्थानों को लगाई गई पूंजी पर कोई भी लाभ कमाने की छूट नहीं है । तथापि यह निर्णय परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन और स्तरोन्नयन के लिए संसाधन जुटाने पर संस्थानो के प्रयासों को बाधित नहीं करेगा । इसके अलावा जबकि उन्नीकृष्णन जे.पी. बनाम आन्ध्र प्रदेश सरकार (ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 2178) के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश के अनुसार निवेश पर लाभ कमाने की अनुमति नही है, फिर भी न्यायालय ने निवेश की

वसूली का प्रश्न केन्द्रीय सरकार और सांविधिक निकायों पर छोड़ दिया था । अतः ऐसा वांछनीय समझा जाता है कि प्रबन्धकवर्ग के लिए विकास शुल्क पूंजीगत लागत की आंशिक वसूली (निवेश पर लाभ नहीं) के तत्त्व और रखरखाव तथा प्रतिस्थापन के साधन का काम करेगा ।

8. शुल्क का लेखा रखना

(1) प्रत्येक संस्थान दो अलग-अलग लेखे रखेगा अर्थात अनुरक्षण लेखे और विकास लेखे ।

(2) (i) शिक्षण शुल्क तथा खानपान और आवास खर्च की वास्तविक वसूली तथा अन्य विविध शुल्कों से प्राप्त होने वाली राशि अनुरक्षण लेखाओं में जमा कर दी जाएगी ।

(ii) अनुरक्षण लेखें दो भागों में रखे जाएंगे अर्थात (क) वेतन तथा भत्ते, तथा (ख) अन्य खर्चे ।

(iii) सभी आवर्ती खर्च अनुरक्षण लेखों में से किए जाएंगे और उन्हें वेतन तथा भत्तों से संबंधित भाग अथवा स्थिति अनुसार अन्य खर्चों के खाते में डाला जाएगा ।

(3) संस्थान की स्थापना के पहले 10 वर्षो में विकास शुल्क से प्राप्त होने वाली राशि का कम से कम आधा हिस्सा विकास खाते में जमा किया जाएगा, जिसके बाद इस शुल्क की सारी राशि इसी खाते (विकास खाते) में जमा की जाएगी । संस्थान की विभिन्न प्राप्तियां भी इसी खाते में जमा की जाएंगी । इस शुल्क से प्राप्त होने वाली राशि का प्रयोग उपकरणों, पुस्तकों और पत्रिकाओं की प्राप्ति तथा परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया जाएगा । प्रबन्धकवर्ग, संकाय के सुधार संबंधी खर्च को इस खाते के नामे डाल सकता है ।

(4) अध्यापक शिक्षा संस्थानों के खातों की प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा की जाएगी जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय प्रबन्ध, इन विनियमों और परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले मार्गदर्शी सिद्धांतों के स्थूल रूपरेखा के अनुरूप है ।

9. शुल्क लगाने से संबंधित अन्य क्रियाविधिक मामले

(1) (i) इन विनियमों के अधीन एक बार निर्धारित शुल्क अथवा शुल्क की दरें कम से कम तीन वर्षों की अवधि के लिए वैध होंगी ।

(ii) शुल्क में संशोधन होने पर, संशोधित शुल्क केवल नए छात्रों के मामले में लागू होगा ।

(iii) सेमिस्टर के लिए शुल्क का भुगतान अग्रिम रूप से किया जा सकता है ।

(iv) प्रत्येक समिति, प्रतिवर्ष दिसम्बर के महीने में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए संबंधित राज्य में प्रकाशित होने वाले तीन समाचार पत्रों में अगले वर्ष के लिए प्रत्येक सेमिस्टर में देय कुल शुल्क के बारे में सूचना देगी । समिति प्रतिवर्ष तीसरे वर्ष के लिए लागू शुल्क का निर्धारण करेगी ।

(2) कोई भी मान्यताप्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थान निम्न काम नहीं करेगा :

(i) इन विनियमों के अधीन अधिसूचित शुल्क से अधिक शुल्क लगाना।

(ii) इन विनियमों के प्रावधानों अथवा परिषद् द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार जो खाते रखे जाने आवश्यक हैं, उन्हें न रखना ।

(3) जो संस्थान शुल्क की निर्धारित दर से अधिक शुल्क वसूल करेंगे अथवा बताए गए ढंग से खाते नहीं रखेंगे अथवा जिन्हें इन विनियमों के प्रावधानों का अन्यथा उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा, उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है ।

10. परिषद् द्वारा अपेक्षित जानकारी

परिषद् किसी भी समय समिति से कोई भी जानकारी अथवा स्पष्टीकरण मांग सकती है और समिति ऐसी जानकारी अथवा स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य होगी ।

11. जिस अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के पूरा करने पर विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त होती है, उनसे संबंधित शुल्क का विनियमन

ऐसे अध्यापक शिक्षा संस्थानों तथा ऐसे अन्य निकायों के मामले में जो कि ऐसे अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं जिनके पूरा होने पर विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त होती है, समय-समय पर यथासंशोधित *विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी गैर-सहायताप्राप्त व्यावसायिक संस्थानों में* दाखिले और शुल्क का विनियमन) विनियम 1997 आवश्यक संशोधनों सहित लागू

IndiaCode

होंगे, किन्तु शर्त यह है कि जिस अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की पूर्ति के बाद विश्वविद्यालय की डिग्री प्राप्त होती है उसकी शुल्क संरचना निर्धारित करते समय स्थितिअनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थायी समिति अथवा राज्य स्तरीय समिति, संबंधित अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक निधारित करने वाले राअशिप विनियमों के अनुसार जो सुविधाएं मुहैया कराई जानी आवश्यक है, उन्हें ध्यान में रखेगी ।

12. व्याख्या

(1) यदि इन विनियमों की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न खड़ा होता है, तो उसके बारे में परिषद् द्वारा निर्णय लिया जाएगा ।

(2) इन विनियमों के कार्यान्वयन के बारे में यदि कोई संदेह पेश आता है तो उसे दूर करने के लिए परिषद् को स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार प्राप्त है ।

IndiaCode

एस.के. रॉय, सदस्य सचिव
[विज्ञापन III/IV/131/2002/असा.]

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2002

F. No. 5-1/2001-NCTE(Acad).—Whereas the National Council for Teacher Education (NCTE is satisfied that it is necessary in public interest to lay down guidelines regarding tuition fees and othe fees chargeable by unaided teacher education institutions, offering teacher training programmes,

NOW THEREFORE in exercise of powers conferred by Section 12 (h) read with Section 32(2) (d) (v) of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (No. 73 of 1993), the NCTE hereby makes the following Regulations, namely –

1. Short title and commencement

(i) These Regulations may be called the National Council for Teacher Education (Guidelines for regulation of tuition fees and other fees chargeable by unaided teacher education institutions) Regulations, 2002.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Applicability

These regulations shall, for the time being, apply to institutions which offer courses or training in teacher education (other than those institutions offering a teacher education programme leading to a university degree) as defined in Section 2 (e) of the NCTE Act, 1993 and operating on "no grant-in-aid"/ "self-financing" basis.

Indiacode

3. Definitions

In these Regulations, unless the context otherwise requires :-

(a) "Act" means the National Council for Teacher Education Act, 1993 (No. 73 of 1993);

(b) "Council" means the National Council for Teacher Education established under Section 3 of the Act ;

(c) "Committee" means the State Level Committee;

(d) "Competent authority" means the University Grants Commission, the Central Government, a State Government or any other authority, as may be designated by the Council, to determine the fees or scales of fees payable by students and the allotment of students for admission to various teacher training institutions;

(e) "Fees", in relation to payment seats or free seats means all the institutional fees including tuition fee and development fee;

(f) "Free Seats" means the seats on which the fee payable by a student seeking admission to, and prosecution of, a course of study at a level corresponding to the fees as specified for the Government colleges and institutions in the concerned State in respect of similar courses of study ;

(g) "Institution" means an institution which offers courses or training in teacher education;

(h) "Recognised institution" means an institution recognised by the Council under Section 14 of the Act;

(i) "NRI" means a Non-Resident Indian and the expression "non-resident" has the same meaning as assigned to it under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);

(j) "Payment Seats" means seats other than Free Seats and for which fee payable by a student seeking admission to, and prosecution of, a course of study shall not exceed the limits specified under these Regulations;

(k) "State" includes a Union Territory;

(l) "Section" means a section of the Act; and

(m) "Student" includes a person seeking admission in a course of study.

Admission

(1) No student other than a student who fulfils the requirements of the NCTE Regulations laying down the norms and standards for various teacher education programmes shall be eligible for admission to a teacher education programme.

(2) Eligibility of candidates and the procedure for admission will be regulated as per the policy of the State Government and in terms of NCTE

Regulations, laying down the norms and standards for various teacher education programmes, as amended from time to time.

(3) (i) At least 50 percent of the seats in every recognised institution shall be Free Seats and the remaining 50 percent be Payment Seats.

(ii) The criteria of eligibility and other conditions shall be the same in respect of both Free Seats and Payment Seats, except that a higher fee is to be paid for Payment Seats.

(iii) The management of a recognised institution shall not be entitled to impose any additional eligibility criteria or conditions for admission either to Free Seats or Payment Seats.

(4) Private recognised institutions shall be permitted to admit the NRI/foreign students up to a maximum of 5 per cent of the total intake approved by the Council from time to time for each academic year. This percentage shall be out of Payment Seats.

(5) (i) There shall be no quota of seats for the management or for any family, caste or community which had established the institution.

(ii) The competent authority may, at its discretion, fill any seat which may remain unfilled in five per cent NRI quota in any academic year.

(iii) The fees chargeable from the students admitted under sub-regulation (ii) above shall be the same as chargeable for the students admitted against Payment Seats and not against the NRI seats.

5. Constitution of Committees for fixation of fees payable

(i) The fees in recognised institutions (other than those institutions offering a teacher education programme leading to a university degree) operating on "no grant-in-aid"/"self-financing" basis shall be determined by a State Level Committee;

(ii) The State Level Committee which may be constituted in every State by the concerned Government shall consist of :

(a) Secretary in-charge of Teacher Education of the State Government – Chairman ;

(b) Secretary of the Finance Department of the State Government or his Nominee – Member ;

(c) Representative of the Department dealing with physical education, if such a Department exists, to be nominated by the State Government – Member ;

(d) Three experts, one each in Institutional Finance, Cost Accountancy and Economics to be nominated by the State Government – Member ;

(e) Director in-charge of Teacher Education of the State Government – Member Secretary.

The concerned government may nominate any other official to serve on the Committee.

6. Procedure to be adopted by the Committee

(1) Secretarial assistance to the State Level Committee shall be given by the Directorate of the State Government which is entrusted with the concerned teacher education programme as per the rules of procedure of the State Government.

(2) The term of office of the Members of the State Level Committee constituted under Regulation 5 (ii), other than the ex-officio Members, shall be three years.

(3) The State Level Committee shall review the fee structure at an interval of three academic years.

(4) (i) Subject to provisions of these regulations, the Committee is free to devise its own procedure. The procedure shall, however, compulsorily include giving opportunity to the institutions concerned to furnish such material as they may consider relevant. The Committee shall also have power to call for such information and details as it may consider relevant for fixation of fees. To carry out its functions effectively, the Committee shall lay down a time bound 'action-calendar' and 'dead-lines' for compliance by the institutions concerned and for completing its tasks.

(5) The Committee may determine different rates or scales of fees for different classes of institutions, if a classification is justified on intelligible and objective criteria. In particular, the Committee shall be free to fix different rates for institutions located in tribal areas, rural areas and urban areas.

(6) While determining the fee chargeable, it shall be the duty of the Committee to ensure that the fee does not become a source of profit or commercialization for the institutions concerned.

7. Criteria and procedure for determining fees

(i) The fees to be charged shall have two broad categories, namely, tuition fee and development fee

(ii) While deciding the fee structure for Free Seats, Payment Seats and NRI Foreign students, the Committee shall, take into consideration, the parameters which affect the cost, the total expenditure of the institution for running the professional course as computed on the basis of audited statements of the previous two years and reasonable projected estimation for the next three years.

(iii) The tuition fee shall be to meet the actual cost of imparting education.

(iv) While assessing a fair tuition fee, the Committee shall take into account the facilities required to be provided as per the NCTE Regulations laying down the norms and standards for the relevant teacher education programme In addition, the Committee shall specifically take into account the following aspects:-

(a) Salary and allowances including bonus, if admissible, payable to teaching and non-teaching employees;

(b) Expenditure on administrative services;

(c) Cost of maintenance of laboratories including consumables;

(d) Contingent expenditure including statutory requirements like audit fee, and the like;

(e) Cost of acquisition of books and journals for libraries;

(f) Maintenance of buildings and other assets including rents and tariffs; and

(g) Any other recurring expenditure to be determined by the competent authority, from time to time.

(v) The Committee may seek any data or clarification from the concerned professional institutions.

(vi) Having due regard to the parameters mentioned in sub-regulation (iv) above, suitable rates may be fixed for holders of Free Seats, Payment Seats and NRI Foreign students.

(vii) The management of the institution may realize the actual cost of board and lodging from the students subject to the Committee being satisfied about the reasonableness of such costs.

(viii) The Committee shall at an interval of three years determine the development fee and different rates of development fee may be specified for students of Free Seats, Payment Seats and Foreign NRI seats.

(ix) The development fee may be at flat rates.

(x) Based on intelligible and objective criteria, the Committee may classify the institutions into different categories for the purpose of prescribing different slabs or rates of development fees.

(xi) While determining the rates of development fees, the Committee shall take into account the views and suggestions of the private professional institutions, and of interested members of the general public.

(xii) No management of a teacher education institution shall in the first ten years of its establishment, appropriate more than fifty per cent of the proceeds of the development fee levied or the actual capital cost, whichever is lower, for the recovery of the capital cost. The remaining amount shall be utilized for upgradation and replacements in the said first ten years and, thereafter, the entire proceeds may be utilized for upgradation and replacement purposes.

As the scheme laid down by the Supreme Court of India in Unnikrishnan J.P. Versus State of Andhra Pradesh (A.I.R. 1993 S.C. 2178) prohibits commercialization of education and profit making, it shall not be open to the institutions concerned to claim any return on investments. This may, however, not come in the way of the institutions in mobilizing resources for the replacement and upgradation of assets. Further, while earning returns on the investment would not be permissible as per the judgement and order of the Supreme Court of India in Unnikrishnan J.P. *versus* State of Andhra Pradesh (A.I.R. 1993 SC 2478), the court had, left the question of recovering investment on the Central Government and the statutory bodies. It is, therefore, considered desirable that the development fee could provide for an element of partial capital cost recovery to the Management (but not a return on investment) and to serve as a resource for upkeep and replacement.

8. Maintenance of account of fees

(1) Every Institution shall maintain two separate accounts, namely, the Maintenance Accounts and the Development Accounts.

(2) (i) The proceeds of tuition fee and cost recoveries of board and lodging charges and other miscellaneous fees shall be credited to the maintenance accounts.

(ii) The maintenance accounts shall be kept in two parts, namely, (a) the pay and allowances, and (b) the other expenditure.

(iii) All recurring expenditure shall be met from the maintenance account and brought to account in the part relating to pay and allowances, or as the case may be, under the other expenditure.

(3) At least half of the proceeds of development fee shall be credited to the development account in the first ten years of establishment of the institution, after which this Account (Development Account) will receive the entire proceeds of this fee. Miscellaneous receipts of the institution would also be credited to the same account. The proceeds of this fee would be utilized for the procurement of equipment, books and journals, and the acquisition of assets. The management may debit expenditure on improvement of faculty to this account.

(4) The accounts of the teacher education institutions shall be audited every year to ensure that the financial management conforms to the broad framework of these regulations and the guidelines issued by the Council from time to time.

9. Other procedural matters connected with levy of fees

(1) (i) Fees or the scales of fees once fixed under these Regulations, shall be valid for a period of at least three years.

(ii) The fees when revised shall be applicable only to new entrants.

(iii) Fees may be payable in advance for a semester.

(iv) Each Committee shall notify in the month of December every year for general information, the total fee payable per semester for the next year, in three news papers having circulation in the State concerned. Every year, the Committee shall fix the fees applicable for the third year.

(2) No recognised teacher education institution shall :

(i) Levy any fee exceeding the fee notified under these regulations.

(ii) Fail to maintain accounts required to be maintained as per the provisions of these regulations or the guidelines issued by the Council

(3) Institutions which levy fee at rates higher than those fixed, or fail to maintain accounts in the manner laid down or are otherwise found to contravene the provisions of these Regulations are liable to have their recognition withdrawn.

10. Information required by the Council

The Council may at any time call for information and clarifications from the Committee and the Committee shall be bound to furnish such information or clarification.

11. Regulation of fees for teacher education programmes leading to a university degree

For teacher education institutions and such other bodies offering a teacher education programme leading to a university degree, the provisions contained in the University Grants Commission (Regulation of Admission and Fees in private non-aided professional institutions) Regulations, 1997, as amended from time to time, will apply mutatis mutandis, subject to the condition that while determining the fee structure for a teacher education programme leading to a university degree, the Standing Committee of the University Grants Commission or the State Level Committee, as the case may be, will take into account the facilities required to be provided as per the NCTE Regulations laying down the norms and standards for the relevant teacher education programme.

12. Interpretation

(1) If any question arises as to the interpretation of these regulations, it shall be decided by the Council.

(2) The Council shall have the power to issue clarifications to remove any doubt which may arise in regard to the implementation of these regulations.

S.K. RAY, Member Secy.
[Advt. III/IV/131/2002/Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054